"सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों की नीतियों एवं कार्यक्रमों में उपेक्षित बच्चों की भागीदारी" परियोजना के अन्तर्गत प्रकाशित

तितली

रंग बिरंगे पंखों से...

वर्ष - 2, अप्रेल-जून 2010

25 years 1983 2008 CUTS International

DFID Department for International Development

Save the Children

संपादक की कलम से

प्रिय पाठकों,

तितली बच्चों एवं हितधारकों के लिए ज्ञान एवं प्रेरणा का स्त्रोत बन रही है साथ ही चारों ओर से मिल रही शुभकामनाएं तितली को अनवरत प्रकाशित करने का संबल प्रदान कर रही हैं।

कट्स मानव विकास केन्द्र द्वारा सेव द चिल्ड्रन के सहयोग से चलाई जा रही *"सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों की नीतियों एवं कार्यक्रमों में उपेक्षित बच्चों की भागीदारी परियोजना"* के तहत् वंचित एवं उपेक्षित बच्चों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने हेतु किये जा रहे प्रयास की कड़ी में कट्स द्वारा पूर्व प्राथमिक शिक्षा अभियान का आयोजन किया गया।

बाल पंचायतों की शिक्षा के मुद्दे पर सहभागिता ही नहीं बढ़ रही है बल्कि सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन हेतु उठते कदम शुभ संकेत हैं।

तितली के इस अंक में परियोजना के तहत् आयोजित गतिविधियों के बारे में एवं अन्य उपयोगी जानकारी प्रकाशित की जा रही है। इस अंक के बारे में आपके बहुमूल्य सुझाव सादर आमंत्रित हैं...

आशीष त्रिपाठी, केन्द्र समन्वयक

अन्दर के पृष्ठ में

- परिंडे बांधने के लिये उठे नन्हें हाथ
- शिक्षा का अधिकार विधेयक 2009
- कर्म करने वाले की जीत
- मीडिया क्लिप

पूर्व प्राथमिक शिक्षा अभियान

वंचित समुदाय के बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिये विशेष प्रयास की आवश्यकता है और यह शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे सभी घटकों के लिये चुनौती भी है। पहली पीढ़ी के सीखने वाले बच्चों के लिये पूर्व प्राथमिक शिक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे बच्चे सहजता से विद्यालय से जुड़ेंगे और उनका सीख स्तर, ठहराव व उपस्थिति भी बढ़ेगी। उक्त विचार अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी नर्बदा भाम्बी ने एराल में पूर्व प्राथमिक शिक्षा अभियान के शुभारम्भ के अवसर पर व्यक्त किये। अभियान का शुभारम्भ ऐराल एवं राजपुरिया में अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी नर्बदा भाम्बी, नयाखेड़ा में सरपंच किशनलाल मेघवाल और घटियावली में वार्डपंच अनिल सोमाणी द्वारा किया गया।

सेव द चिल्ड्रन के सहयोग से चलाई जा रही *"सरकारी एवं गैर–सरकारी संगठनों की नीतियों एवं कार्यक्रमों में उपेक्षित बच्चों की भागीदारी"* परियोजना के तहत् कट्स मानव विकास केन्द्र द्वारा **पूर्व प्राथमिक शिक्षा अभियान,** 10 मई से 10 जुलाई 2010 तक चलाया गया।

अभियान के माध्यम से चित्तौड़गढ़ पंचायत समिति की सावा, सामरी, शंभूपुरा, एराल, घटियावली व नेतावल गढ़पाछली के कुल 28 गाँवों में तीन से छः वर्ष तक के बच्चों को चिन्हित कर आंगनवाड़ी केन्द्रों पर नामांकन एवं ठहराव पर जोर दिया गया एवं 6 वर्ष की आयु के बच्चों की पहचान कर जुलाई माह में उनका विद्यालय में प्रवेश सुनिश्चित किया जायेगा। आंगनवाड़ी केन्द्र के प्रभावी संचालन में कट्स के सचेतकों ने प्रतिदिन आंगनवाड़ी केन्द्र पर पहुंचकर पूर्व प्राथमिक शिक्षा गतिविधियों का आयोजन कर सहयोग किया। आंगनवाड़ी केन्द्र पर बच्चों के साथ खेल गतिविधियाँ, हिन्दी व अंग्रेज़ी के स्वर व व्यंजन, रंगों, फ़लों व जीव जंतुओं के बारे में समझ बढ़ाने हेतु बाल आधारित गतिविधियाँ नियमित रूप से आयोजित करायी गईं। अभियान के समापन पर 28 गांवों में विद्यालय स्तर पर 205 बच्चों का प्रवेशोत्सव के माध्यम से सौ प्रतिशत नामांकन सुनिश्चित कर किया जायेगा।

मेरी शादी रोको तो जानूं : विनोद

उस दिन ग्राम सामरी में कट्स कार्यकर्ता ने आयोजित बाल सभा में बाल विवाह के दुष्परिणाम पर जानकारी दी। बातों ही बातों में बच्चों से पूछा कि आपके गाँव में किसी का बाल विवाह तो नहीं हो रहा है। 4–5 बच्चे एक साथ खड़े हुए और बोले कि *मेडम विनोद को माण्डो हो रयो है।* विनोद भी वहीं पर उपस्थित था, उससे पूछने पर वह बोला,*"हाँ हो रहा है, पर मैंने तितली मे पढ़ा है कि आपने एक लड़की की शादी रोकी। आप लड़की की तो शादी रोकते हो पर आप मेरी शादी रोको तो जानूं।"* विनोद ने अपनी शादी नहीं रूकने पर घर से भाग जाने की धमकी दी। कार्यकर्ता ने विनोद को समझाया और उसके माता पिता से बात करने का आश्वासन दिया।

कार्यकर्ता ने उसके माता पिता को विश्वास में लिया व बामणिया में ससुराल वालों से भी बात की। विनोद की होने वाले सास एवं ससुर से मिले तो उन्होंने बताया कि हाँ विनोद के साथ हमारी लड़की पूजा की शादी होने वाली है। गरीबी के कारण हम अपनी बड़ी बेटी के साथ दो छोटी बेटियों की शादी भी कर रहे हैं और अभी नही करेंगे तो बाद में इतना पैसा कहाँ से लायेंगे? कार्यकर्ता ने समझाया कि आपकी बेटियां अभी कम उम्र की हैं तथा कम उम्र में विवाह करना कानूनन अपराध है। कार्यकर्ता के लगातार प्रयास और समझाईश से पूजा के माता पिता ने अपनी लड़कियों का विवाह 18 साल की उम्र में करने का संकल्प लिया।

आज विनोद खुश है कि उसकी शादी रूक गई और साथ ही चार अन्य जिन्दगियां भी बाल विवाह के डोर मे बंधने से बच गईं। विनोद अब नियमित रूप से अध्ययन कर रहा है और पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना चाहता है।

परिंडे बांधने उठे नन्हें हाथ

तपती धूप के कारण मानव ही नहीं पक्षी भी बेहाल हो व्याकुल घूम रहे हैं। इस बढ़ती हुई गर्मी को देखते हुए बच्चों ने पक्षियों की बेहाली पर चिंता व्यक्त की। पर्यावरण के प्रति अपनी रूचि के चलते इन पक्षियों की प्यास बुझाने हेतु नन्हें–नन्हें हाथों ने पानी के परिंडे बांधे और इनके नियमित रख रखाव की जिम्मेदारी ली।

28 गांवों की 'बाल पंचायत' द्वारा अपने गांव में परिंडे बांधकर पक्षियों की रक्षा के लिये कदम बढ़ाया गया। बच्चों द्वारा चलाए जा रहे इस अभियान से उनमें नेतृत्व क्षमता व पर्यावरण के प्रति सजगता का विकास हुआ है जिससे भविष्य में उनकी आदर्श नागरिकता को सुनिश्चित किया जा सकता है। इसी के साथ उनमें प्राकृतिक संतुलन के महत्व की भावना को भी विकसित किया जा सका है।

सरपंच ने सुनी बच्चों की बात

पंचायती राज जनप्रतिनिधि बच्चों की बात भी मानने लगे हैं। सामरी पंचायत के अमरपुरा गांव में बाल सभा की बैठक के दौरान गांव में चल रही पानी की समस्या पर चिंता व्यक्त की गई। चर्चा के दौरान बाल सभा के सदस्यों ने सरपंच को एक प्रार्थना पत्र लिखने का निर्णय लिया। बाल पंचायत सचिव ने आपसी सलाह से सरपंच को एक पत्र लिखा जिसमें गांव की पेयजल समस्या के समाधान हेतु अतिरिक्त पानी के टैंकर की सुविधा उपलब्ध कराने का आग्रह किया।

यह आवेदन कोरम की बैठक में सरपंच को दिया गया। ऐसा ही एक आवेदन पहले गांव वालों की तरफ से भी दिया जा चुका था। परन्तु, बच्चों की अर्जी से गांव के सरपंच ने उनकी बातों को महत्व देते हुए एक हफ्ते बाद ही गांव में एक और पानी के टैंकर की सुविधा उपलब्ध कराई। आज बच्चे खुश हैं कि उनका प्रयास रंग लाया और गांव के सरपंच ने उनकी बातों को महत्व दिया। वह सरपंच को इस बात के लिये धन्यवाद देते हैं और आगे भी सहयोग की अपेक्षा रखते हैं।

Deluxe Page No : Date : / /

सेवामें
श्रीमान सरपंच साहब
ग्राम पंचायत सामरी - चित्तौड़ गढ़ (राज.)
विषय :- जल योजना लगवाने हेतु
महोदय
उपरोक्त सविनय विषय में नम्र निवेदन है कि मैं अर्जुन बैरागी गांव अमर पुरा बाल पंचायत में पद सचिव होने से बाल पंचायत के सभी मंत्री पद और सदस्य आप से अनुरोध करते है की हमारे गांव अमर पुरा में पानी की समस्या है। तथा इसके समाधान हेतु नल योजना लगवावें। तथा हम सभी के माता - पिता को भी इसी समस्या की अधिक परेशानी उठानी पड़ती है। तथा आपसे अनुरोध है कि हमारे गांव अमर पुरा में नल योजना लगवाने का कष्ट करावें।
कष्ट के लिये क्षमा।

दिनांक
4/5/2010

भवदीय :
बाल पंचायत अमर पुरा

जल मंत्री
दिनेश मेघवाल

पद अध्यक्ष
Guru Bairagi

पद सचिव
Arjun Bairagi

स्वास्थ्य मंत्री
DinDayal Bairagi

खेल मंत्री
संजय बैरागी

Deluxe Page No : Date : 4/05/10

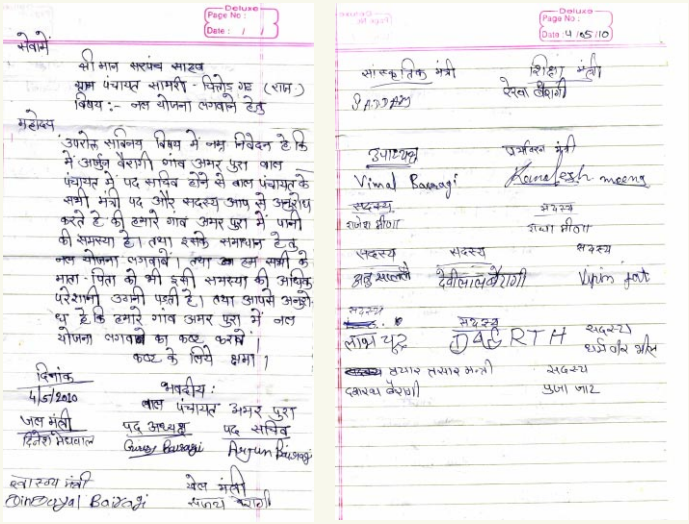

सांस्कृतिक मंत्री
[illegible]

शिक्षा मंत्री
रेखा बैरागी

उपाध्यक्ष
Vimal Bairagi

पर्यावरण मंत्री
Kamlesh meena

सदस्य
राजेश मीणा

सदस्य
रेखा मीणा

सदस्य
[illegible]

सदस्य
देवीलाल बैरागी

सदस्य
Vipin Jat

सदस्य
[illegible]

सदस्य
DASRTH

सदस्य
[illegible]

प्रचार प्रसार मंत्री
[illegible] बैरागी

सदस्य
पुजा जाट

शिक्षा का अलख जगायेंगे।

शिक्षा को हम सब अपनायेंगे।
स्कूल सभी हम जायेंगे।।

बच्चा जो स्कूल से छूटा है।
जिसका मन शिक्षा से रूठा है।
उसको शिक्षा का महत्व बतायेंगे।
हम सब उसे स्कूल ले जायेंगे।
शिक्षा का अलख जगायेंगे।।

पीयूष बरनवाल

बूझो तो जानें

तीन अक्षर का मेरा नाम उलटा सीधा एक समान।
आता हूँ खाने के काम, झटपट बतलाओ मेरा नाम।

जीव बड़ा है ताकतवर, तेज दौड़ में नंबर वन।
युद्धों से ना घबराता, काम सवारी के भी आता।

उत्तर : डालडा, घोड़ा

हँसना मना है

अध्यापक – मोटर साईकिल के कितने पहिये होते हैं?
चींटू – सर छः पहिये।
अध्यापक – (गुस्से से) कैसे?
चींटू – चार पहिये मोटर के और दो पहिये साईकिल के।

राजू – पिंकी तुम्हारे पापा कितने साल के हैं?
पिंकी – जितने साल की मैं हूँ।
राजू – वो कैसे?
पिंकी – जिस दिन मैं पैदा हुई उसी दिन तो वो पापा बने थे।

शांति लाल डांगी

शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009

शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पूरे देश में 1 अप्रैल 2010 से लागू हो गया है। राज्य में इसके बेहतर तरीके से लागू करने हेतु राज्य सरकार द्वारा ठोस प्रयास किये जा रहे हैं।

कट्स मानव विकास केन्द्र विगत 19 वर्षो से शिक्षा के क्षेत्र में प्रयासरत है। शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने पर पाया गया कि अभी भी सरकार द्वारा संचालित राजकीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय में अध्ययनरत/नामांकित छात्रों से छात्र–कोष व विकास शुल्क के नाम पर फीस ली जा रही है, जो कि राज्य सरकार की मंशा के विपरीत है और साथ ही साथ मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार कानून–2009 का उल्लंघन भी है।

''निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार'' के अन्तर्गत प्रावधान

- धारा 3 के अनुसार छह से चौदह साल के सभी बच्चों को आस पास के ही स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा मिलेगी।
- धारा 3(1) के अनुसार 6 से 14 वर्ष के आयु के प्रत्येक बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक किसी आस पास के विद्यालय में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार होगा।
- धारा 3(2) के अनुसार 3(1) के प्रयोजन के लिये बच्चे किसी प्रकार की फीस/प्रभार/व्यय का संदाय करने के दायी नहीं होंगे जो प्रारंभिक शिक्षा लेने और पूरी करने में उसे रोके।
- धारा 4 के अनुसार कभी स्कूल से न जुड़े या स्कूल बीच में छोड़ चुके बच्चों को उनकी उम्र के अनुसार कक्षा में प्रवेश मिलेगा। इसके लिये उसे किसी तय प्रक्रिया के द्वारा विशेष प्रशिक्षण या सहायता देकर तय समय सीमा में कक्षा के अन्य बच्चों के बराबर लाया जायेगा।
- धारा 5(3) के अनुसार किसी कारणवश अन्य विद्यालय में प्रवेश चाहने वाले बच्चे के लिये पूर्व के विद्यालय के प्रधानाध्यापक या विद्यालय के प्रभारी द्वारा तुरंत स्थानांतरण प्रमाणपत्र जारी किया जायेगा। परन्तु, स्थानांतरण प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में विलंब के कारण बच्चे को प्रवेश देने में न तो विलम्ब किया जायेगा और न ही प्रवेश देने से इन्कार किया जायेगा।
- धारा 10 के अनुसार प्रत्येक बच्चे के माता पिता या अभिभावक या संरक्षक की जिम्मेदारी होगी कि उनके बच्चे स्कूल में प्रवेश लें और नियमित स्कूल जायें।
- धारा 13(1) के अनुसार कोई भी स्कूल या व्यक्ति बच्चे को प्रवेश देते समय किसी प्रकार की फीस या पैसा नहीं लेगा और बच्चों को प्रवेश देने के लिये लिये कोई प्रवेश परीक्षा नहीं ली जायेगी।
- धारा 14(2) के अनुसार किसी भी बच्चे को जन्म प्रमाण पत्र न होने के आधार पर प्रवेश देने से इन्कार नहीं किया जा सकेगा।
- धारा 16 के अनुसार किसी बच्चे को किसी कारणवश फेल नहीं किया जायेगा और ना ही स्कूल से निकाला जायेगा।
- धारा 17(1) के अनुसार किसी भी बच्चे को शारीरिक या मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जायेगा।

कर्म करने वाले की जीत

एक गांव में राधे नाम का व्यक्ति रहता था जो एक पैर से अपंग था। वह हमेशा अपनी किस्मत को कोसता और भीख मांग कर अपना पेट भरता।

एक सुबह वह भीख मांगने पास के गांव में गया तो उसने देखा कि एक सेठ की दुकान पर चार पांच नौकर काम में व्यस्त हैं और आने जाने वाले सब सेठ को सलाम कर रहे हैं। राधे ने सोचा सेठ अच्छा आदमी दिख रहा है, अगर मैं इसके यहाँ मांगने जाता हूँ तो मुझे अच्छा भोजन मिल सकता है।

राधे सेठ के पास गया और बोला, "सेठ कुछ खाने को मिलेगा, भगवान आपका भला करेगा व दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेगा।" सेठ ने राधे को देखा और राधे से बोला, "भाई तुम देखने में तो स्वस्थ दिखाई दे रहे हो तो कुछ काम कर के इज्जत की रोटी क्यों नही कमाते, यूं भीख मांग कर क्यों अपना गुजर बसर कर रहे हो।" राधे गम्भीरता से बोला, "सेठ क्यों मेरी हंसी उड़ा रहे हो आपने देखा नहीं किस्मत ने मेरे साथ कितना बड़ा मजाक किया है और मुझे अपाहिज कर दिया।"

उसकी निराशावादी बातें सुन सेठ ने कहा अच्छा अन्दर आ जाओ मैं तुम्हारे लिये कुछ खाने को मंगाता हूँ। राधे जैसे ही अन्दर आया तो उसकी आंखे खुली की खुली रह गईं। उसने देखा कि सेठ के दोनों पैर नही हैं। बड़े अचम्भे के साथ सेठ से पूछा, "सेठजी आपके तो दोनों पैर नहीं हैं, फिर भी आप इतनी बड़ी दुकान के मालिक हो और दुनिया आपको इतनी इज्जत देती है।''

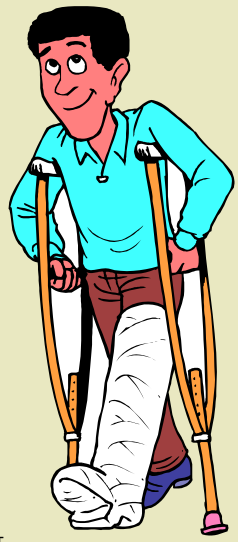

सेठ ने राधे को समझाते हुये कहा, ''इन्सान को कर्म पर विश्वास करना चाहिये और जितना है उसका शुक्रिया अदा कर मेहनत से इज्जत की रोटी खानी चाहिये। आज मैं मेहनत से नहीं घबराया और खुद पर भरोसा कर हमेशा ही कर्म पर विश्वास किया। क्या हुआ यदि मेरे दोनों पैर नहीं है, मेरे दोनों हाथ तो सही सलामत हैं।''

सेठजी की बातें सुन राधे की आंखें खुल गईं उसने मन ही मन सोचा कि सेठ के तो दोनों पैर नहीं हैं फिर भी वह मेहनत कर इज्जत की ज़िन्दगी जी रहा है। मेरे दोनों हाथ व एक पैर तो सही सलामत हैं फिर मैं क्यों नहीं इज्जत की रोटी कमा सकता हूँ? उस दिन उसने कसम खाई कि वह मेहनत कर अपना पेट भरेगा।

उसी दिन से वह सेठजी के यहाँ हिसाब किताब का काम देखने लगा। कुछ दिनों में उसने सेठजी का विश्वास जीत लिया। सेठजी ने पूरी दुकान उसके भरोसे छोड़ दी और पास ही एक कमरा रहने के लिये दे दिया। अब उसके व्यवहार में भी परिवर्तन आया जिससे लोग उसे चाहने लगे।

वन्दना चौहान
कट्स मानव विकास केन्द्र

झलकियां

परिंडे बांधते बच्चे

समुदाय चर्चा

पूर्व प्राथमिक शिक्षा अभियान 2010 का प्रशिक्षण व संचालन

पूर्व प्राथमिक शिक्षा अभियान का शुभारंभ करते अतिथिगण

सचेतक बैठक

बाल सभा बैठक

क्यों नहीं आती मैं स्कूल तुम्हारे ?

क्यों आऊँ मैं स्कूल तुम्हारे,
मैं आती हूँ पूरे घर का कचरा फेंक,
फिर भी फेंकना पड़ता है मुझे,
स्कूल का कचरा।

इन पांच सालों में उड़ते हुए
पंछी तो देखे हैं मैंने कई
पर उड़ता हुआ मजाक मेरे
बोलने के लहजे का देखा है
तुम्हारी ही स्कूल में।

जानती हूं मैं कि मेरे कपड़ों पर
मिट्टी थोड़ी ज्यादा लगी है,
फिर भी तुम मुझे बताते रहे
कि मैं गंदी हूं।

तुम तो मेरा छुआ खाना भी नहीं खाते
क्या अब भी नहीं बता सकते हो तुम
कि क्यों नहीं आती हूं मै स्कूल तुम्हारे ?

साभार
उजाला छड़ी

मीडिया क्लिप

विभिन्न स्थानों पर परिंडे बांधे

पूर्व प्राथमिक शिक्षा अभियान शुरू

बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा महत्वपूर्ण

नौनिहालों को भेंजे आंगनबाड़ी केन्द

शिविर में सचेतकों को दिया प्रशिक्षण

28 गांवों में चलेगा शिक्षा अभियान

कट्स मानव विकास केन्द्र
सेंती (रावला), चित्तौड़गढ़, फोन : (01472) 241472, फैक्स : 240072
E-mail: chd@cuts.org, Website: www.cuts-international.org

SAVE THE CHILDREN, INDIA
Rajasthan State Programme Office
42, Vrindavan Vihar, Kings Road, Jaipur - 302 021
Ph: +91 141 403 5881, Fx: +91 141 322 0881 www.savethechildren.in